UPBJ120025472026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर
सरकार बनाम आकाश आदि
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–552/2026
मु०अ०सं०– 404/2026
धारा– 126(2), 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस०
थाना– चाँदपुर, बिजनौर।
दिनांक 05–08–2026

प्रार्थीगण **1. आकाश पुत्र अशोक** व **2. अशोक पुत्र घासी** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–**404/2026,** अन्तर्गत धारा–**126(2), 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस०** थाना **चाँदपुर,** जिला बिजनौर में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थीगण को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी मनगढंत व अस्वभाविक तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थीगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर जिस अपराध का अभियोग है वह मजिस्ट्रेट विचारणीय है एवं सात वर्ष से कम के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले पर गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **1. आकाश पुत्र अशोक** व **2. अशोक पुत्र घासी,** मु०अ०सं०–**404/2026**, अन्तर्गत धारा–**126(2), 115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस०**, थाना **चाँदपुर**, जनपद बिजनौर द्वारा 25,000–25,000/–रूपये की दो–दो प्रतिभू व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किये जाते हैं।

अरूण कुमार राणा
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर
बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.08.05 16:32:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court